

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, जौनपुर।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या-06/2026

(पंजीकरण सं0-85/2026)

स्टेट ----- बनाम ----- गुड्डू उर्फ परमात्मा।

धारा-344 दं0प्र0सं0

थाना-मड़ियाहूं, जिला जौनपुर।

दिनांक-14.03.2026 (राष्ट्रीय लोक अदालत)

प्रकीर्ण वाद आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ।

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद में धारा 344 के तहत अभियोजन साक्षी/वादी मुकदमा गुड्डू उर्फ परमात्मा के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने पर धारा 344 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा आज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जुर्म संस्वीकृति के आधार पर मुकदमा निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है तथा अपने अपराध को कबूल करते हुए कम से कम दण्ड दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

आदेश

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त गुड्डू उर्फ परमात्मा को मु0 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। तदनुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

दिनांक-14.03.2026

(रणजीत कुमार)

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।

जे0ओ0कोड-6509